।। संघे शक्ति कलयुगे ।।

राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़

पंजी.क्र.- 122201889278 दिनांक 21.08.2018 (शासन से मान्यता प्राप्त)

भागवत कश्यप
प्रांताध्यक्ष
कार्यालय एवं निवास : ग्राम-चिटकाकानी,
पो.-जुर्डा, तह.-रायगढ़ जिला-रायगढ़ छ.ग.
मो. 9302677805 Email : baba2007k@gmail.com

शिव कुमार साहू
सचिव
कार्यालय एवं निवास : मकान क्र. 200,
सेक्टर-1, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर छ.ग.
मो. 9644483737 Email : shivkumarsahu12031976@gmail.com

संरक्षक
कृष्ण कुमार मिरी
कार्यकारी प्रांताध्यक्ष
ज्योतिष सर्वे
कोषाध्यक्ष
सतीश चन्द्राकर
महामंत्री
राजेश वंजारी
संयोजक
रत्नेश सिंह भदौरियां
आलोक तिवारी
प्रवक्ता
वीरेन्द्र कुमार बैस
उप-प्रांताध्यक्ष
टी.पी. पाण्डेय, फारुख जावेद
भीषम ठाकुर, प्रमोद टण्डन
देवेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र पाल सिंह
सह-सचिव
बृजेश सिंह राजपुत
मुरली मनोहर वर्मा
चंचल मिरी
इन्द्र देव कश्यप
संगठन मंत्री
दानी सिंह ठाकुर, सुमेद गोडबोले
सत्यनारायण यादव,
अभिषेक माली, प्रशांत दुबे
प्रचार मंत्री
शैलेश मेहता, अरविन्द मरावी,
श्वेता वैष्णव, यशवंत देवांगन,
विष्णु मरकाम, वीरा राजाबाबू

क्र/27/ रा.प.स. दिनांक 5/7/2024

प्रति,

माननीय श्री टंकराम वर्मा जी
मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, छ0ग0

विषय :– विगत वर्षों की मांगो / समस्याओं के निराकरण नही हो पाने तथा ऑनलाईन भुइयां में हो रही गंभीर समस्याओं के निराकरण बाबत् ।

महोदय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ की प्रांतीय ऑनलाईन गूगल मीट दिनांक 02/07/2024 को आहूत की गई थी जिसमें भुईयां में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया। वर्तमान में आ रही समस्याओं का विवरण निम्नानुसार है–

1. ऑनलाईन कार्य करने हेतु आज दिनॉक तक किसी भी प्रकार की सुविधा यथा कम्प्यूटर, लैपटाप, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट आदि उपलब्ध नहीं कराई गई है । पटवारी अपने संसाधन से ऑनलाईन का कार्य करते हैं जो कि पटवारियों पर अतिरिक्त व्यय भार है। अतः पटवारियों को आवष्यक संसाधन एवं नेट भत्ता उपलब्ध कराया जाये। उपरोक्त के संबंध में पूर्व में भी राजस्व सचिव महोदय एवं संचालक भू अभिलेख महोदय को ज्ञापन भी दिया गया था जिसका आज पर्यन्त तक निराकरण नहीं किया गया है जिससे प्रदेष के सभी पटवारी निराष एवं हताष है।
2. ऑनलाईन नक्षा बटांकन, संषोधन पहले पटवारी आई डी में संषोधित कर राजस्व निरीक्षक की आई डी में भेजा जाता है जिसके कारण जब तक राजस्व निरीक्षक आई डी से अनुमोदन नहीं होता तब तक उसी नक्षे से संबंधित अन्य बटांकन या संषोधन नहीं किया जा सकता जिसके कारण अनावष्यक विलंब होता है एवं पटवारी द्वारा अनुमोदन के लिये भेजा गया नक्षा बटांकन प्रस्ताव पटवारी आई डी में नहीं दिखता है जिससे त्रुटि की संभावना रहती है। सामान्यतः नक्षा का सर्वर अधिकांषतः नहीं खुलता है, और खुलता भी है तो अत्यंत ही धीमा रहता है। प्रत्येक नक्षा बटांकन पष्चात दुबारा लॉगिन करना पड़ता है। जिसका अभी तक निराकरण नहीं किया गया है।
3. जिले स्तर पर सहायक प्रोग्रामरों की पदस्थापना की जाये अभी छोटी छोटी समस्या के लिये प्रोग्रामरों के निर्देषन की आवष्यकता पड़ती है एवं बार बार रायपुर बुलाया जाता है जो कि व्यवहारिक नहीं है।

कार्यालय मंत्री
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

...गवत कश्यप
प्रांताध्यक्ष
...र्यालय एवं निवास : ग्राम-चिटकाकानी,
पो.-जुर्डा, तह.-रायगढ़ जिला-रायगढ़ छ.ग.
मो. 9302677805 Email : baba2007k@gmail.com

शिव कुमार साहू
सचिव
कार्यालय एवं निवास : मकान क्र. 200,
सेक्टर-1, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर छ.ग.
मो. 9644483737 Email : shivkumarsahu12031976@gmail.com

संरक्षक
कृष्ण कुमार मिरी
कार्यकारी प्रांताध्यक्ष
ज्योतिष सर्वे
कोषाध्यक्ष
सतीश चन्द्राकर
महामंत्री
राजेश वंजारी
संयोजक
रत्नेश सिंह भदौरिया
आलोक तिवारी
प्रवक्ता
वीरेन्द्र कुमार बैस
उप-प्रांताध्यक्ष
टी.पी. पाण्डेय, फारुख जावेद
भीषम ठाकुर, प्रमोद टण्डन
देवेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र पाल सिंह
सह-सचिव
बृजेश सिंह राजपुत
मुरली मनोहर वर्मा
चंचल मिरी
इन्द्र देव कश्यप
संगठन मंत्री
दानी सिंह ठाकुर, सुमेद गोडबोले
सत्यनारायण यादव,
अभिषेक माली, प्रशांत दुबे
प्रचार मंत्री
शैलेश मेहता, अरविन्द मरावी,
श्वेता वैष्णव, यशवंत देवांगन,
विष्णु मरकाम, वीरा राजाबाबू

क्र/ / रा.प.स. दिनांक 5/7/2024

4. त्रुटिपूर्ण खसरे जो बैंक में बंधक है जिनकी सूची बनाकर रायपुर भेजा गया है ऐसे खसरों को शृद्ध या विलोपित करने का आज तक आप्शन नहीं दिया गया है एवं न ही एनआईसी द्वारा उसको विलोपित किया जा रहा है।

5. भूमि के कय विकय में जितने रकबा का बिकी होता है उसका उल्लेख ऑनलाईन में नहीं होता है। पटवारी को मैन्युअली ऑनलाईन भुईयॉ पोर्टल में रकबा दर्ज करना पड़ता है जिसमें त्रुटि की पूर्ण संभावना होती है और भुईयां में एक बार प्रविष्टि करने के पष्चात संसोधन का आप्षन नहीं होता है। अतः आपसे निवेदन है कि ऐसा सुधार किया जाये कि जितने रकबे का रजिस्ट्री होता है वह स्वतः ही भुईयॉ पोर्टल में प्रविष्ट हो जाये।

6. महोदय मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य में दूसरे राज्य से आये व्यक्तियों के द्वारा भूमि कय विकय किया जा रहा है जिसमें उनके द्वारा अपने मूल राज्य की जाति का उल्लेख किया जा रहा है और उसी आधार पर रजिस्ट्रि में प्रविष्टि किया जा रहा है। महोदय दूसरे राज्य से आया हुआ कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य में सामान्य वर्ग के अंतर्गत आयेगा जिसका उल्लेख रजिस्ट्रि में नहीं होता है उसका उल्लेख हम सभी को भुईयॉ पोर्टल में करना होता है। दस्तावेज के अनुरूप प्रविष्टि करने के लिये हम बाध्य होते हैं जिसका अनुचित लाभ दूसरे राज्य के व्यक्तियों को हो रहा है अतः आपसे निवेदन है कि इसमें युक्तियुक्त सुधार किया जाये।

7. महोदय ज्ञात हो कि वर्तमान में पटवारी आई डी में संकलन, विलोपन, संसोधन का आप्षन हमारे आई डी में नहीं है उसके बावजूद कई जिलों में संकलन, विलोपन, संसोधन के नाम पर पटवारियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही किया जा रहा है जो कि अत्यंत ही निंदनीय है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाये।

8. वर्तमान में कृषकों द्वारा समितियो या बैंक के माध्यम से ऋण लिया जाता है। मई से कर्ज लेना शुरू हो जाता है और धान बेचने के समय समिति द्वारा उक्त कर्जा को बैंक द्वारा काट लिया जाता है पर अधिकांषतः देखने में आता है कि कृषकों द्वारा बैंक या समिति का कर्जा चुका देने के बाद भी ऑनलाईन भुईयां से बैंक बंधक नहीं हटाया जाता है जिसकी षिकायत होती है और सारा दोषारोपण पटवारी पर होता है जो कि अनुचित है।

9. डिजीटल हस्ताक्षर 100 प्रतिषत करने के लिये शासन स्तर पर बार बार दबाव बनाया गया जिसके कारण त्रुटिपूर्ण खाते को भी पटवारियो द्वारा अपनी नौकरी बचाने की मजबूरी में डिजीटल किया गया। ज्ञात हो कि पटवारियों को आज भी अपना डिजीटल टोकन अपने खर्च से बनवाना पड़ता है। उसके बावजूद भी उच्चाधिकारियों द्वारा पटवारियों को प्रताड़ित किया जाता है जो कि अनुचित है।

10. शासन द्वारा समस्त खाताधारकों के ऑनलाईन रिकार्ड में आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, किसान किताब नम्बर की प्रविष्टि हेतु आदेषित किया जाता है। आधार नंबर को खाताधारक द्वारा गोपनीय दस्तावेज माना जाता है और

...कश्यप
प्रांताध्यक्ष
...लय एवं निवास : ग्राम-चिटकाकानी,
...-जुर्डा, तह.-रायगढ़ जिला-रायगढ़ छ.ग.
...9302677805 Email : baba2007k@gmail.com

शिव कुमार साहू
सचिव
कार्यालय एवं निवास : मकान क्र. 200,
सेक्टर-1, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर छ.ग.
मो. 9644483737 Email : shivkumarsahu12031976@gmail.com

संरक्षक
कृष्ण कुमार मिरी
कार्यकारी प्रांताध्यक्ष
ज्योतिष सर्वे
कोषाध्यक्ष
सतीश चन्द्राकर
महामंत्री
राजेश बंजारी
संयोजक
रत्नेश सिंह भदौरिया
आलोक तिवारी
प्रवक्ता
वीरेन्द्र कुमार बैस
उप-प्रांताध्यक्ष
टी.पी. पाण्डेय, फारुख जावेद
भीषम ठाकुर, प्रमोद टण्डन
देवेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र पाल सिंह
सह-सचिव
बृजेश सिंह राजपुत
मुरली मनोहर वर्मा
चंचल मिरी
इन्द्र देव कश्यप
संगठन मंत्री
दानी सिंह ठाकुर, सुमेद गोडबोले
सत्यनारायण यादव,
अभिषेक माली, प्रशांत दुबे
प्रचार मंत्री
शैलेश मेहता, अरविन्द मरावी,
श्वेता वैष्णव, यशवंत देवांगन,
विष्णु मरकाम, वीरा राजाबाबू

क्र/ / रा.प.स. दिनांक 5/7/2024

बहुत समझाने पर भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। कई खाताधारक बाहरी होने के कारण उनका आधार नंबर, मोबाईल नंबर उपलब्ध नहीं हो पाता। खाते में आधार, मोबाईल नंबरो की कम एंन्ट्री होने के कारण कार्यवाही की जा रही है जो कि अनुचित है।

11. ऑनलाईन रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण हेतु पटवारी आई डी में आता है जिसमे केता विकेता से संबंधित सभी जानकारी इंग्लिष में दर्ज रहता है। जिसको हिन्दी में टाईप करना पड़ता है जिसके कारण कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लिपिकीय त्रुटि होना संभाव्य है । जिसके लिये पटवारियों को दोषी समझा जाता है अतः इस पर आवष्यक सुधार करने का कष्ट करेंगे।

12. वर्तमान में प्रदेष स्तर पर 100 प्रतिषत नक्षा बटांकन का दबाव बनाया जा रहा है। नक्षा बटांकन का कार्य सतत कार्य है वर्तमान मे बारिष का मौसम होने से कृषक खेती किसानी के कार्य मे व्यस्त हैं। कृषकों के कृषि कार्य में व्यस्त रहने के कारण एवं खेतों में फसल बुआई का कार्य जारी रहने से नक्षा बटांकन करने हेतु पैमाइष करने का कार्य संभव नहीं होने से नक्षा बटांकन कार्य हेतु दबाव न बनाया जाये। वर्तमान में कई जिलों में नक्षा बटांकन उपरांत सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी जा रही है कि किस आदेष के तहत नक्षा बटांकन का कार्य किया गया। नक्षा बटांकन के दौरान कई बार यह देखा गया है कि किसी भूमि के नक्षा बटांकन का कार्य करने के समय सभी पक्षकार उपस्थित नहीं रहते हैं तात्कालीन समय में संबंधित पटवरियों द्वारा किसी एक पक्षकार की अनुपस्थिति में नक्षा बटांकन कर दिया जाता है अधिकारियो के अत्यधिक दबाव के कारण ऐसे नक्षों का बटांकन करने से भूमि स्वामियों का हित प्रभावित हो रहा है जिससे अनावष्यक विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। जिसमें पटवारियों को दोषी ठहराया जा रहा है।

13. कुछ दिनों पूर्व खसरों का पुनः क्रमांकन किया गया, जिसके बाद रजिस्ट्रियॉ भी हुई हैं, नामांतरण भी हुआ है मगर वर्तमान में संबंधित खसरा पुनः पूर्व भूमि स्वामी के नाम से दर्ज हो गया है। जिसका जिम्मेदार भी पटवारियों को ठहराया जा रहा है जो न्यायसंगत नहीं है।

14. शामिल नंबरों को अलग अलग करने का आदेष किये बिना ही खसरा नंबरों को अलग कर दिया गया जिसमें रकबा शुन्य प्रदर्षित हो रहा है जो कि त्रुटिपूर्ण दिखा रहा है। जिसके लिये पटवारियों को दोषी समझाा जा रहा है।

15. उड़ान नंबरों को अलग अलग कर दिया गया तथा मूल खसरा नंबर बनाया गया जिसके लिये कभी भी कोई लिखित आदेष नहीं हुआ है। आज भी मूल नक्षा शीट एवं आनलाईन नक्षा में उड़ान नंबर अलग से दिखता है।

16. वर्ष 2014 में जब भुईयां ऑफलाईन किया गया था तब विभिन्न प्रकार की एन्ट्री के लिये जिस्ट टायपिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता था जबकि वर्तमान में गूगल इंडिक फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण

...व पटवारी संघ छत्तीसगढ़

(शासन से मान्यता प्राप्त)

...8 दिनांक 21.08.2018

...गवत कश्यप
प्रांताध्यक्ष
...लय एवं निवास : ग्राम-चिटकाकानी,
पो.-जुर्डा, तह.-रायगढ़ जिला-रायगढ़ छ.ग.
...। 9302677805 Email : baba2007k@gmail.com

शिव कुमार साहू
सचिव
कार्यालय एवं निवास : मकान क्र. 200,
सेक्टर-1, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर छ.ग.
मो. 9644483737 Email : shivkumarsahu12031976@gmail.com

दिनांक 5/7/2024

क्र/ / रा.प.स.

संरक्षक
कृष्ण कुमार मिरी

कार्यकारी प्रांताध्यक्ष
ज्योतिष सर्वे

कोषाध्यक्ष
सतीश चन्द्राकर

महामंत्री
राजेश वंजारी

संयोजक
रत्लेश सिंह भदौरिया
आलोक तिवारी

प्रवक्ता
वीरेन्द्र कुमार बैस

उप-प्रांताध्यक्ष
टी.पी. पाण्डेय, फारुख जावेद
भीषम ठाकुर, प्रमोद टण्डन
देवेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र पाल सिंह

सह-सचिव
बृजेश सिंह राजपुत
मुरली मनोहर वर्मा
चंचल मिरी
इन्द्र देव कश्यप

संगठन मंत्री
दानी सिंह ठाकुर, सुमेद गोडबोले
सत्यनारायण यादव,
अभिषेक माली, प्रशांत दुबे

प्रचार मंत्री
शैलेश मेहता, अरविन्द मरावी,
श्वेता वैष्णव, यशवंत देवांगन,
विष्णु मरकाम, वीरा राजाबाबू

भी विभिन्न प्रकार की त्रृटियां सृजित हुई जिसमें सीधे सीधे पटवारियों को दोषी माना जा रहा है।

17. वर्तमान में भुईयां साफटवेयर किस ब्राउजर एवं किस प्रकार के कम्प्यूटर कॉनफिगरेषन में चलेगा इसमें भी संदेह है। कभी इंटरनेट एक्सप्लोरर, कभी मोजिला, फायरफाक्स ,क्रोम में कार्य करने की सलाह दी जाती है जिससे परेषानियों का सामना करना पड़ता है।

18. डायवर्सन रिकार्ड कृषक के खाते में दर्ज करते समय अगर संबंधित कृषक के पास एक से अधिक खसरा नंबर का खाता है तो डायवर्सन दर्ज करने के पश्चात समस्त खसरा नंबर का एक खाता न बनकर प्रत्येक खसरा नंबर का अलग अलग खाता सृजित होता है । बसरा नंबर के खाते में ही भुमि स्वामी का नाम दर्ज हो रहा है शेष खसरा नंबरों के खाते में भूमि स्वामी का नाम दर्ज नहीं हो रहा है। जिससे भूमि स्वामी अनावष्यक रूप से परेषान हो रहे हैं। जिससे विवाद की स्थिति निर्मित होती है तथा इसका जिम्मेदार भी पटवारियों को ठहराया जाता है जो कि अनुचित है।

19. भुईयां पोर्टल में फौती नामांतरण के अभिलेख दुरूस्ती करने पर फौत व्यक्ति के वारिसानों का नाम दर्ज होता है किन्तु अन्य शामिल खातेदारों का नाम संबंधित खाते से विलोपित हो जाता है जिससे त्रुटि सुधार का धारा 115 में प्रकरण दर्ज करवाना पड़ता है जो त्रुटि सुधार में पेंडेंसी का बहुत बड़ा कारण होता है।

20. पूर्व में बसरा संषोधन का विकल्प पटवारी आई डी में उपलब्ध था जिससे खातेदार की समस्या का समाधान पटवारी स्तर पर किया जा सकता था किन्तु वर्तमान में बसरा संषोधन का विकल्प पटवारी आई डी से हटाने के उपरांत धारा 115 मे त्रुटि सुधार के जितने भी प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं उसमें आधे से अधिक प्रकरण बसरा संषोधन के हैं जिसमें सुधार की आवष्यकता है।

21. रजिस्ट्री नामांतरण हेतु जो प्रकरण पटवारी आई डी में उपलब्ध होते हैं उसमें नाम पिता का नाम दर्ज करने का विकल्प दुबारा नहीं रहता है। विकल्प न होने के कारण अगर किसी नामांतरण में मानवीय भूलवष कोई लिपकीय त्रुटि होती है तो उसके सुधार की कोई गुंजाइष न होने से धारा 115 में त्रुटि सुधार का एक और प्रकरण दर्ज करवाना पड़ता है जिससे हितग्राही परेषान होता है जिसका सारा दोषारोपण पटवारियो पर थोपा जाता है। जबकि इसमें सुधार कर कम से कम एक बार लिपकीय सुधार करने का विकल्प पटवारी आई डी में दिया जाना चाहिये।

22. पटवारी आई डी में संकलन हेतु जिन खसरा नंबरों का उल्लेख होता है संकलन सूची में वह खसरा नंबर मूल खसरा नंबर के रूप में दर्ज रहता है, उदाहरण स्वरूप ' 226, 227, 228, 229 किन्तु पटवारी आई डी में उक्त खसरा नंबर का बटांकन 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2 के रूप में दर्ज होने से उक्त मूल खसरा नंबर

...भवत कश्यप
प्रांताध्यक्ष
...लय एवं निवास : ग्राम-चिटकाकानी,
...-जुर्डा, तह.-रायगढ़ जिला-रायगढ़ छ.ग.
...9302677805 Email : baba2007k@gmail.com

शिव कुमार साहू
सचिव
कार्यालय एवं निवास : मकान क्र. 200,
सेक्टर-1, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर छ.ग.
मो. 9644483737 Email : shivkumarsahu12031976@gmail.com

संरक्षक
कृष्ण कुमार मिरी
कार्यकारी प्रांताध्यक्ष
ज्योतिष सर्वे
कोषाध्यक्ष
सतीश चन्द्राकर
महामंत्री
राजेश वंजारी
संयोजक
रत्नेश सिंह भदौरिया
आलोक तिवारी
प्रवक्ता
वीरेन्द्र कुमार बैस
उप-प्रांताध्यक्ष
टी.पी. पाण्डेय, फारुख जावेद
भीषम ठाकुर, प्रमोद टण्डन
देवेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र पाल सिंह
सह-सचिव
बृजेश सिंह राजपुत
मुरली मनोहर वर्मा
चंचल मिरी
इन्द्र देव कश्यप
संगठन मंत्री
दानी सिंह ठाकुर, सुमेद गोडबोले
सत्यनारायण यादव,
अभिषेक माली, प्रशांत दुबे
प्रचार मंत्री
शैलेश मेहता, अरविन्द मरावी,
श्वेता वैष्णव, यशवंत देवांगन,
विष्णु मरकाम, वीरा राजाबाबू

क्र/ / रा.प.स. दिनांक 5/7/2024

का संकलन होता ही नहीं है फिर भी उक्त खसरा नंबर का मूल नंबर पटवारी आई डी में संकलन हेतु शेष प्रदर्षित होता है जिससे अभिलेख अषुद्धता की संख्या बढ़ रही है जिसका जिम्मेदार पटवारी को माना जाता है और कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है।

23. पटवारियों द्वारा अषुद्ध एवं बोगस खसरा नंबरों की सूची सक्षम अधिकारियों को उपलब कराने के बाद भी उस पर किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण सभी अषुद्ध एवं बोगस खसरा नंबर पटवारी आई डी में प्रदर्षित हो रहा है जिसका जिम्मेदार भी पटवारियों को ठहराया जा रहा है।
24. विक्रय भूमि का नामांतरण करते समय विक्रेता का एक ही खसरा नम्बर का खाता हो तो क्रेता के खाते के पक्ष में नामांतरण करने पर उक्त खाते में क्रेता के साथ विक्रेता का नाम भी दर्ज हो जाता है जो कि गंभीर त्रुटि है।
25. कृषकों द्वारा बैंक से ऋण लेने पष्चात बैकों द्वारा उक्त खाते को बैंक बंधक बनाकर खाते में बैंक का नाम खाते में सह खातेदार के रूप में जोड़ दिया जाता है। ऋण अदायगी उपरांत बैंक बंधक हटा दिया जाता है परंतु सह खातेदार के रूप में बैंक का नाम मौजूद रहता है जिसे किसानों द्वारा धारा 115 के तहत आवेदन देकर हटवाना पड़ता है जिससे कृषक अनावष्यक रूप से परेषान होते रहते हैं।
26. किसी भी प्रकार का ऑनलाईन नामांतरण दर्ज करते समय आवेदक द्वारा पिता/ पति का नाम दर्ज कराया जाता है जो कि नामांतरण होते होते पिता से पति या पति से पिता में बदल जाता है जिससे खाताधारक को परेषानी का सामना करना पड़ता है।
27. भुईयां साफटवेयर में की गई किसी प्रकार के अपडेषन की सूचना कभी नहीं दी जाती है और न ही अपडेषन के संबंध में कोई कार्यषाला आयोजित की जाती है जिससे पटवारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
28. प्रदेश कि अधिकांष गांवो में आज तक बंदोबस्त नहीं हुआ है जिसके कारण नक्षा बटांकन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकांष मौके पर कब्जा काष्त एवं रकबा का मिलान नहीं होता है जिससे विवाद की स्थिति निर्मित होती है। उक्त संबंध में नक्षा बटांकन करने के लिये स्पष्ट आदेष प्रसारित करने का कष्ट करेंगे।
29. वर्ष 2021 के पश्चात बी 1 खसरा प्रदाय नहीं किया गया है। जबकि शासन द्वारा बार बार बी1 वाचन के लिये आदेषित किया जाता है अतः अविलम्ब बी1 खसरा पॉचसाला प्रदाय करवाने का कष्ट करेंगे।
30. वर्ष में 2 बार उपायुक्त कार्यालय द्वारा पटवारियों का बस्ता जांच किया जाता है जबकि वर्तमान में सभी प्रकार के राजस्व अभिलेख ऑनलाईन हैं। अतः बस्ता जांच प्रथा पर रोक लगाई जाये।

...गवत कश्यप
प्रांताध्यक्ष
...लय एवं निवास : ग्राम-चिटकाकानी,
...-जुर्डा, तह.-रायगढ़ जिला-रायगढ़ छ.ग.
...9302677805 Email : baba2007k@gmall.com

शिव कुमार साहू
सचिव
कार्यालय एवं निवास : मकान क्र. 200,
सेक्टर-1, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर छ.ग.
मो. 9644483737 Email : shivkumarsahu12031976@gmail.com

संरक्षक
कृष्ण कुमार मिरी

कार्यकारी प्रांताध्यक्ष
ज्योतिष सर्वे

कोषाध्यक्ष
सतीश चन्द्राकर

महामंत्री
राजेश वंजारी

संयोजक
रत्नेश सिंह भदौरिया
आलोक तिवारी

प्रवक्ता
वीरेन्द्र कुमार बैस

उप-प्रांताध्यक्ष
टी.पी. पाण्डेय, फारुख जावेद
भीषम ठाकुर, प्रमोद टण्डन
देवेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र पाल सिंह

सह-सचिव
बृजेश सिंह राजपुत
मुरली मनोहर वर्मा
चंचल मिरी
इन्द्र देव कश्यप

संगठन मंत्री
दानी सिंह ठाकुर, सुमेद गोडबोले
सत्यनारायण यादव,
अभिषेक माली, प्रशांत दुबे

प्रचार मंत्री
शैलेश मेहता, अरविन्द मरावी,
श्वेता वैष्णव, यशवंत देवांगन,
विष्णु मरकाम, वीरा राजाबाबू

दिनांक 5/7/2024

क्र/ / रा.प.स.

31. अधिकतर समय भुईयॉ सर्वर धीमा रहता है। अतः भुईयॉ ऑनलाईन में कार्य करने का समय कार्यालय समय के अनुरुप प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक का रखा जाये।

32. वर्तमान में पटवारी आई डी में संकलन, संषोधन विलोपन का विकल्प मौजूद नहीं है साथ ही डिजीटल हस्ताक्षर हटाने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी श्रीमान कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा पटवारी साथी उमेष कुमार पटेल को खसरा विलोपन एवं डिजीटल हस्ताक्षर हटाने के आरोप में निलंबित किया गया है जिसका राजस्व पटवारी संघ घोर निंदा करता है। संघ आपसे न्याय की उम्मीद करते हुये पटवारी उमेष कुमार पटेल का निलंबन आदेष निरस्त करने की मांग करता है।

महोदय, भुईयां साफटवेयर में उपरोक्त विसंगतियों के कारण एक ओर जहां पटवारियों को कार्य करने में परेषानी हो रही हैं वहीं दूसरी ओर खाताधारकों/ भूमि स्वामियों/कृषकों को भी अनावष्यक न्यायालयीन कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि खाताधारकों (कृषकों) के हित में साफटवेयर में आवष्यक सुधार करवाने का कष्ट करें। जिससे प्रदेष के खाताधारक (कृषक) की दृष्टि में राजस्व विभाग की छवि धूमिल न हो तथा पटवारियों को भी अनावष्यक दबाव का सामना न करना पड़े। भुईयां साफटवेयर में किये जा रहे नये नये प्रयोग से किसानों की समस्या दिनों दिन बढती जा रही है जिसका सारा जिम्मेदार पटवारियों को माना जा रहा है। महोदय आपसे अनुरोध है कि भुईयॉ साफटवेयर में आवष्यक सुधार करते हुये जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदारी भी तय की जाये तथा दोषी पर कार्यवाही भी सुनिष्चित की जाये अथवा पटवारियो को प्रताड़ित करने के बजाये पटवारी का पद ही समाप्त कर दिया जाये। यदि दिनॉक 07/07/2024 तक उपरोक्त समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो दिनॉक 08/07/2024 से राजस्व पटवारी संघ छ0ग0 के सभी पटवारी अनिष्चितकालीन आंदोलन में जाने को बाध्य होंगे जिसकी जवाबदारी शासन प्रषासन की होगी।

प्रांताध्यक्ष / सचिव
राजस्व पटवारी संघ, छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि : जिलाध्यक्ष सर्व राजस्व पटवारी संघ छ0ग0 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रांताध्यक्ष / सचिव
राजस्व पटवारी संघ, छत्तीसगढ़